

22/12/24

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई।
पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/राजीनामा
संभव नहीं हो पाया। पत्रावली पुर्वाह्वितार नियत
तारीख पेशी दिनांक...26/12/24.....को
पेश हो।


अनंद


सर्वेश

राष्ट्रीय लोक अदालत वेब नं.....4.....

26/12/24

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित।
आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही
दौरे में तशरीफ रखते हैं/ अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अभिभाषणगण कम्प्लेन्स पर है। अतः पत्रावली साप्ताहिक
कार्यवाही हेतु दिनांक...13/01/25.....को पेश हो।

13/01/25

बकु० 35०। पत्रावली के अवलोकन में जाहिर आया
कि TDR बूंदी द्वारा यह ज्ञा० पत्र बिना किसी
आवंटन के अग्रणी के नाम अमि राजस्व रेकार्ड
में गैर खानेदारी में दर्ज होने से आराजीक
पुनः सिवापचक दर्ज रेकार्ड किया जान जाने
पेश किया है। राजस्व विभाग ग्रुप 6 के परिषद
क्रमांक प. 8 (8) Rev. 6/2017 PT/135
दि- 01/12/21 से इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में
दर्ज गैर खानेदारी की सूची का कुछ शर्तों
के साथ नियम 18- A राजस्व अमि का
कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970
अनुसार खानेदारी देने योग्य माना है।
इसलिए ज्ञा० पत्र का अग्रणी जान नया
निर्णय किया जान कर कार्य विद्विग्न और चिंतन
नहीं है।

अतः ज्ञा० पत्र खारिज किया जाकर
में उपर परिषद का अवलोकन कर नियमानुसार
कार्यवाही हेतु TDR बूंदी को विदेशित किया जाता
है। पत्रावली फेल्ल में शुमार होकर नया शर्त
दाखिल दफतर है।

